भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3263

उत्तर देने की तारीख : 20.03.2025

एमएसएमई का औपचारिकीकरण

3263. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के सामने अपने परिचालन को औपचारिक बनाने और औपचारिक ऋण चैनलों तक पहुंचने में आने वाली चुनौतियों की जानकारी है, जैसा कि हाल के आर्थिक सर्वेक्षण में उजागर किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का आकलन किया है कि ये चुनौतियां सांगली जैसे शहरों और कस्बों में एमएसएमई को किस प्रकार विशेष रूप से प्रभावित करती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे क्षेत्रों में एसएसएमई को औपचारिक ऋण प्राप्त करने और औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत होने में आने वाली कठिनाइयों के संबंध में मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) क्या इन चुनौतियों से निपटने और एमएसएमई को औपचारिक बनाने के लिए कोई विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (घ) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को उनके परिचालन को औपचारिक रूप प्रदान करने तथा सांगली सहित देशभर में औपचारिक क्रेडिट चैनलों तक पहुंच प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु कई उपाय किए गए हैं।

(i) एमएसएमई मंत्रालय ने उद्यमों के औपचारीकीकरण के लिए दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की थी। उद्यम पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्णत: ऑनलाइन, कागज रहित और स्व-घोषणा पर आधारित है। एमएसएमई मंत्रालय अपने विकास कार्यालयों के जरिए तथा राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके उद्यमों को अपने परिचालन को औपचारिक रूप प्रदान करने के लिए सुविधाजनक पहुंच प्रदान करने हेतु देशभर में औपचारीकरण/पंजीकरण अभियान को बढ़ावा देता है।

साथ ही, इस मंत्रालय ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ मिलकर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी। इससे पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले ऋण का लाभ प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हुई है। दिनांक 01.07.2020 को हुई शुरुआत से लेकर दिनांक 17.03.2025 तक 26.11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले 6.14 करोड़ से अधिक एमएसएमई ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण किया है।

(ii) एक बार किसी उद्यम के पंजीकृत और औपचारिक रूप प्राप्त कर लेने के उपरांत, वह दिशानिर्देशों और पात्रता मानदंडों के अध्यधीन एमएसएमई मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों और पहलों का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाता है। एमएसएमई को औपचारिक ऋण प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करने वाली कई स्कीमों की शुरुआत की गई है जिनमें अन्य के साथ-साथ बैंक ऋण पर मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करके गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, संयंत्र और मशीनरी/उपकरणों की खरीद के लिए संस्थागत वित्त पर अ.जा./अ.ज.जा. के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 25 प्रतिशत सब्सिडी के प्रावधान के साथ विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए कोलेटरल मुक्त ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम, अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के लिए 20 लाख रुपए तक का कोलेटरल मुक्त ऋण, पीएम विश्वकर्मा योजना, मुद्रा ऋण आदि शामिल हैं।

(iii) एमएसएमई को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त नीतिगत उपायों के रूप में, बजट 2025 में निम्नलिखित घोषणाएं की गई हैं:-

क) स्टार्टअप्स के लिए गारंटी कवरेज की राशि को मौजूदा 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए करना।

ख) बेहतर तरीके से निर्यात कर रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए 20 करोड़ रुपए तक के सावधि ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी।

ग) आगामी 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक के सावधि ऋण के लिए 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पहली बार उद्यमी बनने वालों के लिए एक नई स्कीम।

*****